रजिस्टर सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6, 1981 (ज्येष्ठ 16, 1903)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1981 (JYAISTHA 16, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	405
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	729
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	753
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों) (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिन में सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3-क—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उप विधियां भी शामिल हैं) (के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ) (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	7045
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	293
भाग III—खंड 3—मुख्य-आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	45
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1899
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	105
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	405
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	729
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	753
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3-A.—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7045
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	293
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	45
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1399
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	105
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 1981

सं० 9/6/81-के० से०II—सितम्बर, 1981 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड, सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिये एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये नियम सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित हैं:—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य, अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किये गये के अनुसार संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति, आदेश, 1956 संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन), अधिनियम, 1976 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978 ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जायेगा।

किस तारीख को और किन किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त स्थाई अधिकारी जो 1 अगस्त, 1981/पहली अगस्त, 1981 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा:—

(क) 1 अगस्त, 1981 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिये ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिये तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिये।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा भी शामिल है, के परिणामों के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिये तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिये।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में पहली जनवरी, 1981 को उसकी 5 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिये।

परन्तु यदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणामों के आधार पर हुई हो तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिये तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिये।

टिप्पणी 1:—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी 2:—अनुमोदित तथ लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी 3:—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग का कोई स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपात काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा। अथवा

टिप्पणी 4:—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हो उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में आग लेने का पात्र समझा जायेगा तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गये हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयो के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) रखते हों।

(2) आयु:—

(क) यदि वह केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग में स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक हैं तो 1-8-81 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1931 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) यदि वह रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1-1-81 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1931 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु-सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग अथवा निर्वाचन आयोग के स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामलों में जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर अपनी सेवा (प्रशिक्षण की अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जायेगी।

(घ) उपरिलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी;

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सदभाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन । नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केनिया उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियाँ करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से सम्बन्धित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक;

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xiii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों ।

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल को वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति की हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक;

(xvi) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो तो अधिक से अधिक 10 वर्ष।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) टंकण परीक्षा.—यदि किसी उम्मीदवार को प्रवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध)/अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या उपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णयक अन्तिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवारी को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उमीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।

9. उन उम्मीदवारों को छोड़कर जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करते हों, बाकी उम्मीदवारों को निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की चार अलग अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सके, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाईंग एक्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएं, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाए।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संघवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है;

किन्तु इस संबंध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठे जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग के अपने पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० सं० लि० से०/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस प्रवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

एन० एस० शंकरन, प्रवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1—नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग-1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय	अधिकतम अंक		दिया गया समय
(1) निबन्ध तथा सार लेखन			
(क) निबन्ध . . .	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेखन	50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति	100		2 घंटे
(3) सामान्य ज्ञान	100		2 घंटे

टिप्पणी :—चारों श्रेणियों अर्थात के० सं० लि० सेवा/रे० बो० स० लि० से० निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, प्रारूपण तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे।

3 परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न पत्रों अर्थात् (i) निबंध तथा सारलेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन/मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न-पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1:—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी 2:—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन-पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3:—एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और आवेदन-पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 4:—प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे।

टिप्पणी 5:—उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (प्राप्त की गई) भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8 खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जाएंगे।

9 परीक्षा के सभी विषयों मे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(1) निबन्ध तथा सार लेखन

(क) निबन्ध :—विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन :—सूक्ष्म सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद दिए जायेंगे।

(2) टिप्पण व आलेख तथा कार्यालय पद्धति :—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय का ज्ञान तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने मे उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां—रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्टस आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेशों की हस्त-पुस्तिका और इस प्रयोजन के लिए राज भाषा के प्रयोग से संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

(3) सामान्य ज्ञान :—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन संबंधी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके लिए किन्हीं पाठ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नहीं अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 1981

संकल्प

सं० 3एम-44/80 ई० पी० (एम० पी०)—पार्ट—भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यातकों में गिरावट तथा उन कतिपय मूलभूत समस्याओं के संदर्भ में जो समुद्री उत्पादों के निर्यातों के विकास के संबंध में सामने आई हैं, भारत सरकार ने समस्याओं के पूरी तरह से अध्ययन के लिए समुद्री उत्पादों संबंधी एक टास्क फोर्स गठित करने का निश्चय किया है।

2. इस टास्क फोर्स के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(1) समुद्री उत्पादों के निर्यातों में कमी होने के कारणों का पता लगाना और अल्पकालीन तथा साथ ही दीर्घकालीन उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना

(2) समुद्री उत्पादों की मदों के निर्यातों के विविधीकरण के लिए उनका पता लगाना और उनके शीघ्र विकास के लिये किए जाने वाले उपायों का पता लगाना

(3) समुद्री उत्पादों के क्वालिटी नियंत्रण की विद्यमान पद्धति की समीक्षा करना और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय सुझाना

(4) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करना और समुद्री खाद्य उद्योग के समग्र विकास में इसकी भूमिका की स्पष्ट रूप से परिभाषा करना और

(5) समुद्री उत्पादों के निर्यातों के विकास के लिए अत्यधिक महत्व वाले किन्हीं अन्य मामलों पर विचार करना।

3. टास्क फोर्स का गठन निम्नोक्त प्रकार होगा :—

(1) वी० सी० वेंकटरमन, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।	अध्यक्ष
(2) श्री डी० डब्ल्यू० तेलंग, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
(3) श्री ए० जे० एस० सोढी, संयुक्त सचिव (व्यापार प्रभाग), कृषि मंत्रालय	सदस्य
(4) श्री एम० ए० के० तायब, संयुक्त सचिव (फिशरीज), कृषि मंत्रालय	सदस्य
(5) श्री विजय एल० केलकर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
(6) श्री टी० एन० जेटली, निदेशक (निर्यात संवर्धन) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय	सदस्य

(7) श्री जी० एस० साहनी, सदस्य
सदस्य (सीमा शुल्क),
राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय ।

(8) श्री एन० बालसुब्रमणियन, सदस्य
उप सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग)
वित्त मंत्रालय ।

(9) श्री टी० नारायणन, सदस्य
उप सलाहकार (ए० एच०),
योजना आयोग ।

(10) श्री डी० सी० मजूमदार सदस्य
निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद,

(11) आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय का सदस्य
प्रतिनिधि ।

(12) श्री एन० पी० सिंह सदस्य
अध्यक्ष, भारतीय मत्स्य उद्योग
एसोसिएशन ।

(13) श्री सी० चेरियन, सदस्य
अध्यक्ष, भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन

(14) श्री भास्करन पिल्ले, सदस्य
सचिव, आल केरल मेकानाइज्ड,
बोट ओनर्स एसोसिएशन ।

(15) श्री आर० माधवन नायर सदस्य

(16) श्री शक्ति कुमार सदस्य
भूतपूर्व संसद सदस्य,
संकर गांव, दुरीवा पोस्ट आफिस,
होल्टा डिस्ट्रिक्ट 24,
परगना ।

(17) श्री आर० सी० चौधरी, अध्यक्ष, सदस्य सचिव
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास
प्राधिकरण ।

4. टास्क फोर्स सरकार एवं गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अधिकारियों को अन्य सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकता है ।

5. टास्क फोर्स अपनी पहली बैठक के चार महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह आवश्यकतानुसार एक अथवा अधिक अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और समुद्री तटवर्ती राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाये ।

डी० डब्ल्यू० तेलंग, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 1981

संकल्प

संख्या जे०-13013/3/81-सामान्य—भारत सरकार ने पेट्रोलियम विभाग के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय किया है।

2 समिति का संयोजन इस प्रकार होगा :

(1) प्रो० एम० एम० शर्मा अध्यक्ष
प्रोफेसर आफ केमिकल इंजीनियरिंग
यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आफ केमिकल्स टेक्नोलोजी,
बम्बई ।

(2) डा० जे० एस० अहलूवालिया, सदस्य
प्रमुख, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, इंडियन आयल
कारपोरेशन, फरीदाबाद ।

(3) डा० जे० एन० बरुआ, कार्यवाहक निदेशक, सदस्य
रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जोरहाट ।

(4) डा० एल० के० दोरायस्वामी, निदेशक, सदस्य
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे

(5) डा० वी० आर० गोवारीकर, निदेशक, सदस्य
स्पेस रिसर्च सेंटर, थुम्बा, त्रिवेन्द्रम

(6) श्री वी० बी० गुप्ता, प्रोफेसर आफ टेक्सटाइल इंजी०, सदस्य
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, दिल्ली।

(7) डा० आई० बी० गुलाटी, सदस्य
निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम,
देहरादून ।

(8) डा० नित्यानन्द, निदेशक,
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ सदस्य

(9) डा० पी० के० मुखोपाध्याय, प्रबंधक, सदस्य
आर० एण्ड डी० इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

(10) प्रो० शुकदेव, निदेशक, सदस्य
मालती केम, लेबोरेटरी, बड़ौदा ।

(11) डा० त्यागराजन, निदेशक सदस्य
रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद।

(12) डा० वी० डी० तिलक, भूतपूर्व निदेशक, सदस्य
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पूना ।

(13) डा० एस० वरदाराजन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सदस्य
आई० पी० सी० एल०, बड़ौदा ।

पेट्रोलियम सचिव तथा पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त सचिव/सलाहकार समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित व्यक्ति होंगे। बैठक में भाग लेने के लिए या समिति को सहयोग देने के लिए अध्यक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं ।

3. समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं :—

"विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों पर सलाह देना तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उपाय सुझाना जिससे ईंधनों एवं रसायनों के रूप में प्रयोग के लिए, हाइड्रोकार्बन कच्चे माल के अनुकूलतम संसाधन को सुनिश्चित किया जा सके।"

4. प्रारंभ में समिति की कार्य अवधि 2 वर्ष होगी। समिति की जब भी आवश्यक होगा बैठक होगी परन्तु वह तिमाही में एक बार अवश्य बैठक करेगी तथा वह समय-समय पर सरकार को पेट्रोलियम मंत्रालय में उपयुक्त अनुशंसा करेगी ।

5. समिति के लिए सचिवालय सहायता पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी ।

6 समिति के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नही दिया जायेगा। तथापि गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर होने वाले व्यय को भारत सरकार वहन करेगी । सरकारी अधिकारियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियो का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता संबंधित विभाग/उपक्रमों द्वारा वहन किया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रीय प्रशासनों/लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयो तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० एल० खोसला, संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1981

विषय :—एशियाई खेल, 1982 के लिए संचालन समिति का पुनर्गठन ।

सं० एफ० 11/80 ए० जी० सी० (1)— उपरोक्त विषय पर शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 1-2/80 ए० जी० सी० (जी० आई० बी०) दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 के क्रम में यह निर्णय किया गया है कि श्री विद्या चरण शुक्ल, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री सरदार बूटा सिंह एशियाई खेल, 1982 की संचालन समिति के उपाध्यक्ष होंगे । जब कभी संचालन समिति के अध्यक्ष अनुपस्थित होंगे अथवा अन्य कारण से वह अध्यक्षता नहीं कर सकते तो संचालन समिति की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे ।

एस० रामामूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE (REFORMS)

New Delhi, the 16th May 1981

RULES

No. 9/6/81-CS.II.—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in September, 1981 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government. Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes), (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978 and the Constiution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism, or the Election Commission of India who on the 1st August, 1981/1st January, 1981 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :

(1) *Length of Service*

(a) He should have on the 1st August, 1981 rendered an approved and continous servcie of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Serivce or the Department of Tourism on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade.

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date and he should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade.

(b) He should have on the 1st January, 1981 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service :

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade.

NOTE 1—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism.

NOTE 2—The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division

Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

NOTE 3—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 4—Lower Division Clerks who are on deputation to ex cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre posts or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or Department of Tourism.

(2) *Age* :—

(a) He should not be more than 50 years of age on 1-8-1981 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1931, if he is a permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of the Department of Tourism.

(b) He should not be more than 50 years of age on 1-1-1981 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1931, if he is a permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

(c) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism or Election Commission who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(d) The upper age list prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 26th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 26th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi Zaire and Ethiopia

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a Disturbed area and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Paikstan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Boarder Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975; and

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975.

(xvi) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Typewriting Test* : Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing)/Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them, and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provisions in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in four separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number :

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The numbers of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examinaton to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respect for selection :

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

N. S. SANKARAN, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subjects	*Maximum Marks*	*Time allowed*
(i) Essay and Precis Writing		
(ii) Noting and Drafting		
(a) Essay	50	2 hours
(b) Precis-Writing and Office Procedure	50 = 100	2 hours
(iii) General Knowledge	100	2 hours

Note—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the four categories, *viz.*, C.S.C.S./R.B.S.C.S./Election Commission/Department of Tourism.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

Note 1—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

Note 2—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

Note 3—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

Note 4—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

Note 5—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) Essay — An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing — Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting and Drafting and Office Procedure—The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service are required to study the manual of Office Procedure — Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management — the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Service are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

3. General Knowledge — The paper on General Knowledge will be intended inter alia to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 30th April 1981

RESOLUTION

No. 3M-44/80-EP(MP)-Part.—In the context of the decline in India's Marine Products exports and certain basic problems which have been encountered in regard to the development of marine products exports, the Government of India has decided to constitute a Task Force for Marine Products for a thorough study of the problems.

2. The terms of reference to the Task Force will be :—

(i) to identify the reasons for decline in the exports of marine products and to suggest remedial measures, both short-term as well as long-term;

(ii) to identify marine products items for diversification of their exports and steps to be taken for their speedy development;

(iii) to review the existing system of quality control of marine products and suggest ways of making it more effective;

(iv) to review the functions of MPEDA and define its role clearly in the overall development of the sea food industry; and

(v) to consider any other matters of vital importance for the development of exports of marine products.

3. The composition of the Task Force is as follows :-

Chairman

1. Shri C. Venkataraman, Additional Secretary, Ministry of Commerce.

Members

2. Shri D. W. Telang, Joint Secretary, Ministry of Commerce.
3. Shri A. J. S. Sodhi, Joint Secretary, (Trade Division), Ministry of Agriculture.
4. Shri M. A. K. Tayab, Joint Secretary (Fisheries), Ministry of Agriculture.
5. Dr. Vijay L. Kelkar, Economic Adviser, Ministry of Commerce.
6. Shri T. N. Jaitle, Director (Export Promotion), Office of Development Commissioner (Small Scale Industries), Ministry of Industry.
7. Shri G. S. Sawhney, Member (Customs), Department of Revenue, Ministry of Finance.
8. Shri N. Balasubramanian, Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Banking Division), Ministry of Finance.
9. Shri T. Narayanan, Deputy Adviser (AH), Planning Commission.
10. Shri D. C. Mazumdar, Director (Q.C.), Export Inspection Council.
11. Representative of CCI&E.
12. Shri N. P. Singh, President of Association of Indian Fishery Industry.
13. Shri C. Cherien, President of Seafood Exporter's Association of India.
14. Shri Bhaskaran Pillai, Secretary, All Kerala Mechanised Boat Owners' Association .
15. Shri R. Madhavan Nayar.
16. Shri Shakti Kumar Ex-M.P., Sankar Village, Duriba Post Office, Holta Distt. 24-Parganas.

Member-Secretary

17. Shri R. C. Choudhury, Chairman, M.P.E.D.A., Cochin.

4. The Task Force may Co-opt other Members, both officials and non-officials.

5. The Task Force would submit its Report within four months of its first meeting. It may also submit one or more interim reports, as necessary.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of Government of India and all Maritime State Governments and Union Territories.

D. W. TELANG, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 12th May 1981

RESOLUTION

No. J-13013/3/81-Gen.—Government of India have decided to constitute a Scientific Advisory Committee for the Department of Petroleum.

2. The composition of the Committee will be as under :

Chairman

1. Prof. M. M. Sharma, Professor of Chemicals Engineering, University Department of Chemical Technology, Bombay.

Members

2. Dr. J. S. Ahluwalia, Head, R&D Centre, Indian Oil Corporation, Faridabad.
3. Dr. J. N. Baruah, Acting Director, Regional Research Laboratory, Jorhat.
4. Dr. L. K. Doraiswamy, Director, National Chemical Laboratory, Pune.
5. Dr. V. R. Gowarikar, Director, Space Research Centre, Thumba, Trivandrum.
6. Shri V. B. Gupta, Professor of Textile Engg., Indian Institute of Technology, Delhi.
7. Dr. I. B. Gulati, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehradun.
8. Dr. Nityanand, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow.
9. Dr. P. K. Mukhopadhyaya, Manager, R&D Engineers India Limited, New Delhi.
10. Prof. Sukhdev, Director, Malti Chem Laboratory, Baroda.
11. Dr. Thyagarajan, Director, Regional Research Laboratory, Hyderabad.
12. Dr. B. D. Tilak, Ex-Director, National Chemical Laboratory, Poona.
13. Dr. S. Varadarajan, Chairman-cum-Managing Director, I.P.C.L., Baroda.

Secretary, Petroleum and Joint Secretaries/Advisers in the Department of Petroleum will be permanent invitees to the Committee meetings. The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :—

"To advise on policies relating to Science and Technology and measures to implement them to ensure optimum processing of hydrocarbon raw materials for use as fuels and chemicals."

4. The terms of the Committee will be initially for a period of 2 years. The Committee shall meet as often as necessary but atleast once a quarter, and will make suitable recommendations to the Government in the Department of Petroleum from time to time.

5. The Secretarial assistance required for the Committee will be provided by the Department of Petroleum.

6. No remuneration will be paid to the members of the Committee. However the expenditure on TA/DA of the non official members will be met by the Government of India. TA/DA of Government officials/representatives of Central Public Sector Undertakings will be met by the concerned Department/Undertaking.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations' Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. L. KHOSLA, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 5th May 1981

SUBJECT :—*Reconstitution of Steering Committee for Asian Games*, 1982.

No. F.1-1/80-AGC(I).—In continuation of the Ministry of Education and Culture, Notification No. F.1-2/80-AGC-(DIV), dated 7th October, 1980, on the subject mentioned above, it has been decided that Sardar Buta Singh, Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport, will be the Vice-Chairman of the Steering Committee for Asian Games, 1982 *vice* Shri Vidya Charan Shukla resigned. The Vice-Chairman will preside over the meetings of the Steering Committee, whenever the Chairman of the Steering Committee is absent or is otherwise unable to preside.

S. RAMAMOORTHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981